

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश


आदेश क्र. / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 434

भोपाल दिनांक 15.04.2020

आदेश

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 51 के अंतर्गत कोविड-19 को संक्रामक रोग घोषित किया गया है | पूर्व में जारी आदेश क्र. / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 270 भोपाल दिनांक 23.03.2020 द्वारा कोविड-19 बीमारी की रोकथाम हेतु The Madhya Pradesh Disease Covid-19 regulation 2020 के प्रावधानों के तहत भारत मेमोरियल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर भोपाल को राज्य स्तरीय कोविड-19 उपचार संस्थान के रूप में चिन्हांकित किया गया था | तदुपश्चात संचालनालय आदेश क्रमांक अ.प्र. / 2020 / 512 भोपाल दिनांक 28.03.2020 द्वारा उक्त संस्थान जिला कलेक्टर के अधीन जिला प्रशासन भोपाल को सौंप दी गई थी | उक्त दोनों आदेशों को शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है | उक्त संस्थान को कोविड-19 के तहत मात्र सेम्पल टेस्टिंग लेब के रूप में उपयोग किया जावेगा |

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 689 अजिद / 2020 दिनांक 14.04.2020 की कंडिका क्रमांक 2 (घ) में भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल को चिन्हांकित कोविड स्वास्थ्य केंद्र की सूची से भी विलोपित किया जाता है |



(फैज़ अहमद किदवाई)
आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक 15.04.2020

आदेश क्र. / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 435

प्रतिलिपि -

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मध्यप्रदेश |
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन एवं गैस राहत एवं पुर्नवास विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश |
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश |
4. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री मंत्रालय मध्यप्रदेश |
5. जिला कलेक्टर, भोपाल मध्यप्रदेश |
6. संचालक, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर भोपाल, मध्यप्रदेश |
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल, मध्यप्रदेश |


आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश